

## सूचना

कोल इंडिया लिमिटेड की पुनर्वास एवं पुनःस्थापना नीति, 2012 के अंतर्गत बिगुल कुमार पिता-  
चुनी साव गाम; कुंडी, थाना : टंडवा ज़िला : चतरा (झारखण्ड) को सी बी ए, 1957 आधिनियम  
के तहत गाम कुंडी थाना सं.-27 (रेयती भूमि) खाता सं.- 2, के अधीन प्लॉट सं. -20, 27, 81,  
104, 150, 156, 303, 312, 313, 320, 334, 336, 337, 354, 164, 171, 187, 109P, 203, 257, 265,  
284, 296, 371, 367, खाता सं.- 24, के अधीन प्लॉट सं. -168, 170P, 279, 315; खाता सं.- 5, के  
अधीन प्लॉट सं. -291, 206; थाना सं.-28 देवलगङ्गा खाता सं.- 2, के अधीन प्लॉट सं. -45, 46,  
51, 54, 55, 66, 74, 75, 134, 145, 150, 168, 229, 231, 237; खाता सं.- 17, के अधीन प्लॉट सं.  
-37, 83, 99, 212; थाना सं.-29 सरादू खाता सं.- 50 के अधीन प्लॉट सं. -471, 468, 469; कुल  
रक्कबा:- 02.00 एकड़ (रेयती भूमि) के अधिग्रहण के एवज मे रोजगार का एक प्रस्ताव  
प्रस्तावित किया गया है।

अगर उपरोक्त रोजगार प्रस्ताव पर किसी भी व्यक्ति का कोई दावा/ आपति हो तो वे इस सूचना के  
प्रकाशन/ वेबसाईट [http://www.centralcoalfIELDS.in/indsk/noti\\_empl\\_Ind.php](http://www.centralcoalfIELDS.in/indsk/noti_empl_Ind.php) पर इस सूचना  
को डाले जाने की तारीख से दस दिनों के अंदर सभी दस्तावेजो एवं साक्ष्य के साथ अपनी आपति  
लिखित रूप मे महाप्रबंधक (भूमि एवं राजस्व) सी.सी.एल, राँची एवं क्षेत्रिय महाप्रबंधक (मगध -  
संघमित्रा), सी.सी.एल, के समक्ष उठा सकते हैं।

अगर दस दिनों के अंदर उपरोक्त रोजगार प्रस्ताव पर कोई आपति प्राप्त नहीं होती है, तो यह मान  
लिया जाएगा कि उपरोक्त रोजगार प्रस्ताव पर कोई भी आपति नहीं है।

22/08/24  
C.M(Min)/L&R